

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-22वीं जुलाई 2022

सेवा में,

MS NARBHERAM AND CO PVT LTD POA HOLDER,
Mr. RAJEN KAMANI,
Ho. No. NIL, SB SHOP AREA,
BISTUPUR, JAMSHEDPUR.

विषय :- मौजा-बिष्टुपुर, प्लॉट नं०-Ho. No. NIL, EST. No. 1305400NIL30199, SB SHOP AREA, खाता नं०-2, वार्ड नं०-4 OF JNAC, थाना-1154, जिला-पूर्वी सिंहभूम में प्रस्तावित बहुमंजिली व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिली व्यावसायिक भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-615 दिनांक-20.07.2022 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिली व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवन के उपर अग्निशमन कार्य हेतु 20,000 हजार लीटर क्षमता वाले एक ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. भवन के दोनों स्टेयरकेश लॉबी में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ 150mm डायामेटर वाले एक वेट राईजर कम डाउन सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30-30 मी० लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. भवन लोअर बेसमेन्ट, अपर बेसमेन्ट, लोअर ग्राउण्ड, अपर ग्राउण्ड सहित सभी तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गैंग से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
6. भवन के सभी व्यावसायिक तलों को एग्जैम्पल डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
7. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
8. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2280 Lpm क्षमता का फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. 900 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
10. जाँकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
11. समान क्षमता का डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
12. ये सभी फायर पम्प डिलिवरी हेडर से Inter Connected रहेंगे।
13. पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
14. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से भी जोड़कर रखा जाय।
15. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंस इलेक्ट्रीशियन से हीं कराया जाय।
16. भवन में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
17. सभी इलेक्ट्रिकल पैनल/उपकरणों को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
18. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

19. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 कै0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 कै0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
20. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
21. प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी स्वचालित फायर चेक डोर के रूप में निर्मित कराया जाय।
22. सभी लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय।
23. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
24. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी परिस्थिति में ट्रेवल डिस्टेंस NBC मानक से अधिक न हो।
25. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
26. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
27. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
28. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7,
postalCode=834002, st=Jharkhand,
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70
, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2022.07.22 13:04:29 +05'30'

(जगजीवन राम),

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।